

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उ०प्र०, लखनऊ

पत्रांक:- 5762/14-10-4, लखनऊ, दिनांक 21 जून, 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-

सीतापुर-हरदोई मार्ग (राजमार्ग संख्या-330डी) कि०मी० 33.200 से 38.853 तक दो लेन से चार लेन पेब सोल्डर सहित चौड़ीकरण से प्रभावित सीतापुर वन प्रभाग की वन भूमि क्षेत्रफल 28.707 हे० भूमि पर गैर वानिकी कार्य व बाधक 1549 वृक्षों के पातन तथा हरदोई वन प्रभाग की वनभूमि क्षेत्रफल 8.28 हे० संरक्षित वनभूमि पर गैर वानिकी कार्य व बाधक 1200 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 36.987 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2749 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
आपका पत्रांक-2110/11-सी-FP/UP/Road/146875/2021 दिनांक-22.12.2022।

सन्दर्भ:-

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में प्रभागीय निदेशक, सा०वा० वन प्रभाग, सीतापुर ने अपने पत्रांक-6463/14-1 दिनांक-13.06.2023 से सीतापुर वन प्रभाग की (जो इस कार्यालय में दिनांक-19.06.2023 को प्राप्त हुआ है) एवं हरदोई वन प्रभाग से सम्बन्धित पत्रांक-6666/14-1 दिनांक-22.06.2023 से आपत्तियों का निराकरण आख्या/अभिलेख निम्न प्रकार से प्रेषित किया गया है:-

क्र०सं०	आपत्ति	निराकरण आख्या
हरदोई वन प्रभाग		
1	प्रस्ताव में संलग्न किये गये लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र पर प्रयोक्ता एजेन्सी/प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।	याचक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये संशोधित लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण-पत्र पर प्रभागीय निदेशक, द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया है।
2	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13(ii) में CA का पूर्ण प्राक्कलन अपलोड नहीं किया गया है।	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13(ii) में CA का पूर्ण प्राक्कलन अपलोड कर दिया गया है।
3	प्रस्ताव में सी०ए० स्थल का Geo Referenced Digital Map है किन्तु Geo Referenced Digital Map पर कोआर्डिनेट्स के बिन्दु नहीं दर्शाये गये हैं अतः Geo Referenced Digital Map पर कोआर्डिनेट्स के बिन्दु दर्शाते हुए प्रस्ताव में संलग्न करें तथा सत्यापित Geo Referenced Digital Map ऑनलाइन भाग-2 के यथास्थान पर अपलोड करें तथा Additional information Detail से पूर्व का त्रुटिपूर्ण मैप डिलिट करें।	प्रस्ताव में सी०ए० स्थल का Geo Referenced Digital Map पर कोआर्डिनेट्स के बिन्दु दर्शाते हुए प्रस्ताव में संलग्न करते हुए सत्यापित Geo Referenced Digital Map ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड कर दिया गया है।
4	क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया है।
5	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13(iv) में अपलोड किया गया SoI Toposheet प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित नहीं है अतः सत्यापित SoI Toposheet ऑनलाइन भाग-2 के यथास्थान पर अपलोड करें तथा Additional information Detail से पूर्व का त्रुटिपूर्ण मैप डिलिट करें।	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13(iv) में अपलोड किया गया SoI Toposheet को प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित करते हुए अपलोड कर दिया गया है तथा Additional information Detail में अंकित कर दिया गया है।
6	प्रस्ताव में सम्बन्धित विभागों का अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता संलग्न है, किन्तु अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। अतः सम्बन्धित विभागों का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें।	प्रभागीय निदेशक द्वारा अवगत कराया गया है कि बिन्दु सं-6 के आलोक में याचक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रक्रियाधीन है, जिसमें समय लग सकता है। अतः वचनबद्धता को स्वीकार करें जिससे परियोजना शुरू करने में बिलम्ब न हो।
7	ऑनलाइन भाग-2 में हरियाली घनत्व 0.1 अंकित है तथा हार्ड कापी ऑनलाइन भाग-2 में हरियाली घनत्व 0.3 अंकित है जो कि त्रुटिपूर्ण है अतः एक समान हरियाली घनत्व ऑनलाइन भाग-2 तथा हार्ड कापी भाग-2 में अंकित कर ऑनलाइन अपलोड करें।	ऑनलाइन भाग-2 तथा हार्ड कापी भाग-2 में हरियाली घनत्व 0.3 अंकित कर दिया गया है।
8	परियोजना में 10.0 कि०मी० की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव न होने का प्रमाण-पत्र प्रभागीय निदेशक का प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है।	परियोजना में 10.0 कि०मी० की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव न होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र संलग्न है।
9	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-5 व 6 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है। अतः सही डाटा फीड करें।	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-5 व 6 में सही डाटा फीड कर दिया गया है।
10	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-16 में प्रभागीय वनाधिकारी की सन्तुति के स्थान पर पत्र अपलोड किया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है उसे डिलिट कर	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-16 में प्रभागीय वनाधिकारी की सन्तुति अपलोड कर दिया गया है।

प्रभागीय वनधिकारी की संस्तुति यथा स्थान अपलोड करें। पैनड्राइव में अपलोड की गयी पी0डी0एफ0 फाइल बुद्धिपूर्ण है तथा सी0ए0 स्थल की के0एम0एल0 फाइल भी अपलोड नहीं है। अतः उपरोक्त इंगित कृमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की संशोधित पी0डी0एफ0 फाइल जिसमें प्रस्तावित सी0ए0 स्थल की के0एम0एल0 फाइल हो, पैन ड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।		संशोधित पी0डी0एफ0 फाइल प्रस्ताव में संलग्न है। जिसमें प्रस्तावित सी0ए0 स्थल की संशोधित के0एम0एल0 फाइल अपलोड कर दिया गया है।
सीतापुर वन प्रभाग		
1	प्रस्ताव में प्रस्तावित वन भूमि का 1:50000 माप का सूक्ष्म एवं अपठनीय टोपोग्राफिक संलग्न की गयी है जो कि स्वीकार नहीं है।	1:50000 माप की फुल एवं अपठनीय टोपोग्राफिक प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव में संलग्न स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में निरीक्षण तिथि अंकित नहीं है।	निरीक्षण रिपोर्ट में निरीक्षण तिथि अंकित कर दी गयी है।
3	प्रस्ताव में संलग्न किये गये वन भूमि की गणना एवं वृक्षों की सूची पर प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर नहीं है।	वन भूमि की गणना एवं वृक्षों की सूची पर प्रभागीय निदेशक द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया है।
4	प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष के पत्रोंक 1428/11-सी दिनोंक 16.12.2020 के कम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का डी0एस0एस0 एनालिसिस से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया है।	संलग्न है।
5	मानक शर्तों के मान्य होने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रमाण-पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	मानक शर्तों के मान्य होने की वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया है।
6	प्रस्ताव में संलग्न किए गए लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण-पत्र पर प्रयोक्ता एजेन्सी/प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर नहीं है।	लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण-पत्र पर प्रयोक्ता एजेन्सी/प्रभागीय निदेशक ने हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।
7	प्रस्ताव में संलग्न किए गये जी0ओ0 रिफ्रेन्ड डिजिटल मैप पर प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर नहीं है।	प्रस्ताव में संलग्न किए गये जी0ओ0 रिफ्रेन्ड डिजिटल मैप पर प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर करवा दिये गये हैं।
8	प्रस्ताव में प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दो गुने अवनत वन भूमि का 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न किया गया है किन्तु प्राक्कलन में सी0ए0 स्थल का क्षेत्रफल संलग्न जी0ओ0 रिफ्रेन्ड डिजिटल मैप के क्षेत्रफल से भिन्न अंकित किया गया है अतः प्राक्कलन में सी0ए0 स्थल का सही क्षेत्रफल अंकित कर संशोधित प्राक्कलन प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13 में सही धनराशि अपलोड करें।	सी0ए0 स्थल का सही क्षेत्रफल के अनुसार परियोजना तैयार कर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
9	क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया है।
10	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित 1:50000 माप की रंगीन टोपोग्राफिक संलग्न नहीं की गयी है।	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित 1:50000 माप की रंगीन टोपोग्राफिक संलग्न कर दिया गया है।
11	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र संलग्न कर दिया गया है।
12	एन0पी0वी0 की धनराशि जमा किये जाने की वचनबद्धता का प्रमाण-पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	एन0पी0वी0 की धनराशि जमा किये जाने की वचनबद्धता का प्रमाण-पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न कर दिया गया है।
13	एन0पी0वी0 में संशोधन के उपरान्त बड़ी एन0पी0वी0 धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता का प्रमाण-पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	एन0पी0वी0 में संशोधन के उपरान्त बड़ी एन0पी0वी0 धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता का प्रमाण-पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया है।
	एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है, किन्तु गणना में प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित किया गया है।	एन0पी0वी0 की गणना का क्षेत्रफल सही कर संशोधित गणना संलग्न कर दी गयी है।
	प्रस्ताव में सम्बन्धित विभागों का अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण-पत्र अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।
	प्रस्ताव में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता संलग्न है, किन्तु वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता सम्बन्धित प्रमाण-पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया है।
	मार्ग चौड़ीकरण का स्टैण्डर्ड क्रॉस सेक्शन संलग्न नहीं है।	मार्ग चौड़ीकरण का स्टैण्डर्ड क्रॉस सेक्शन संलग्न है।
	परियोजना में 10.0 कि0मी0 को परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव न होने प्रमाण-पत्र प्रभागीय निदेशक का संलग्न नहीं है।	परियोजना में 10.0 कि0मी0 को परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव न होने सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक का प्रमाण-पत्र संलग्न है।

9	मलवा उत्सर्जन सम्बन्धित प्रमाण-पत्र पर प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर नहीं है।	मलवा उत्सर्जन सम्बन्धित प्रमाण-पत्र पर प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।
20	प्रस्ताव में संलग्न किए गए प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कार्य प्रारम्भ न किए जाने सम्बन्धित प्रमाण-पत्र पर प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर नहीं है।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कार्य प्रारम्भ न किए जाने सम्बन्धित प्रमाण-पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।
21	बाधक वृक्षों की दशा में इण्टायर ट्री ट्रांसप्लान्ट (ई0टी0टी0) से सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सी का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	बाधक वृक्षों की दशा में इण्टायर ट्री ट्रांसप्लान्ट (ई0टी0टी0) से सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सी का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया है।
22	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कम से कम वृक्षों का पातन किए जाने सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर नहीं है।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कम से कम वृक्षों का पातन किए जाने सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया है।
23	ऑनलाइन भाग-2 में ईको क्लास-1 एवं हरियाली घनत्व 0.1 अंकित है, जबकि एन0पी0वी0 की गणना में ईको -3 एवं हरियाली घनत्व 0.3 अंकित है तथा हार्ड कापी भाग-2 में हरियाली घनत्व 0.1 अंकित है, जो कि भिन्न भिन्न है अतः एक समान सही कर ऑनलाइन अपलोड करें।	हार्ड कापी भाग-2 के एक समान ऑनलाइन भाग-2 संशोधित कर संलग्न व अपलोड कर दिया गया है।
24	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-5 व 6 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है।	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-5 व 6 में सही डाटा फीड कर दिया गया है।
25	ऑनलाइन भाग-2 के एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिटेल के सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों को रिमार्क सहित अपलोड नहीं किया गया है।	ऑनलाइन भाग-2 के एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिटेल के सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों को रिमार्क सहित अपलोड कर दिया गया है।
26	ऑनलाइन भाग-2 के डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल एवं हार्ड कापी भाग-2 के डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में एक समान सही विवरण अंकित नहीं है।	ऑनलाइन भाग-2 के डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल एवं हार्ड कापी भाग-2 के डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में एक समान सही विवरण अंकित कर दी गयी है।
27	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13(प्रथम) में 5.12 हे0 के0एम0एल0 फाइल के स्थान पर 4.90 हे0 सी0ए0 की के0एम0एल0 फाइल अपलोड हैं जो त्रुटिपूर्ण है।	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13(प्रथम) में 4.90 हे0 सी0ए0 की के0एम0एल0 फाइल अपलोड कर दी गयी है।
28	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13(प्रथम) एवं क्रमांक-13(तृतीय) में 1.29 हे0 सी0ए0 स्थल, कोडरिया वन ब्लाक की के0एम0एल0 फाइल एवं जियो रिफ्रेन्स डिजिटल मैप संलग्न नहीं किया गया है।	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13(प्रथम) एवं क्रमांक-13(तृतीय) में 1.29 हे0 सी0ए0 स्थल, कोडरिया वन ब्लाक की के0एम0एल0 फाइल एवं जियो रिफ्रेन्स डिजिटल मैप संलग्न कर दिया गया है।
29	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13(पॉच) में उपयुक्तता प्रमाण-पत्र के स्थान पर "वन स्वरूप" का प्रमाण-पत्र अपलोड है जो कि त्रुटिपूर्ण है उसे डिलीट कर उपयुक्तता प्रमाण-पत्र यथास्थान अपलोड करें।	वन स्वरूप का प्रमाण-पत्र डिलीट कर उपयुक्तता प्रमाण-पत्र यथा स्थान अपलोड कर दिया गया है।
30	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-16 में प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति के स्थान पर प्राक्कलन अपलोड किया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है उसे डिलीट कर प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति यथास्थान अपलोड करें।	प्राक्कलन डिलीट कर प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति यथा स्थान अपलोड कर दिया गया है।
31	पेनड्राइव में प्रस्तावित सी0ए0 स्थल की के0एम0एल0 फाइल अपलोड नहीं है।	पेनड्राइव में प्रस्तावित सी0ए0 स्थल की के0एम0एल0 फाइल अपलोड कर संलग्न कर प्रेषित है।

अतः उक्त सम्बन्ध में अपने स्तर से अग्रतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार (प्रस्ताव 6 प्रतियो में)

भवदीया,

(रेणु सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक /

मुख्य वन संरक्षक

लखनऊ मण्डल उ0प्र0, लखनऊ

पत्रांक:-

उक्तदिनांकित।

- 1- प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन प्रभाग, सीतापुर को उनके पत्रांक-6463/14-1 दिनांक-22.06.2023 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन प्रभाग हरदोई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रेणु सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक /

मुख्य वन संरक्षक

लखनऊ मण्डल उ0प्र0, लखनऊ